

08/02/21

आदेश

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण के वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण के नोटित तामिल की श्रेणी में प्राप्त हो चुके हैं। आज बावजूद सूचना अनुपस्थित होने के कारण उनके विरुद्ध ईकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाती है। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण मौजा डूंगरों का तला पटवार क्षेत्र हाथीतला तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 623/340 रकबा 14.14 बीघा भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है।

वकील प्रार्थीगण को सुनने के पश्चात पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहता है जो उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा डूंगरों का तला पटवार क्षेत्र हाथीतला तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 623/340 रकबा 14.14 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त कार्रवाई प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) की जावे। कमीश्नर फीस 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाडमेर के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर सामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल-सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उप सखण्ड अधिकारी  
बाडमेर

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री रोहित चौहान, आर.ए.एस

रीडर/2021/243  
प्रार्थीगण

खेराजराम 2 उर्जराम 3  
प्रहलादराम 3 अचलाराम 5  
पूराराम 6 चुनाराम पिसरान  
केसराराम 7 दमीदेवी पत्नी  
केसराराम जाति जाट  
निवासी डूंगेरों का तला,  
हाथीतला तहसील व  
जिला बाड़मेर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1 केसराराम 2 खेमाराम 3 हरखाराम 4 नानगाराम 5 वगत्ताराम  
6 रुखमणाराम पिसरान भीखाराम 7 रामाराम गोदपुत्र  
मालाराम 8 अचलाराम पुत्र दुर्गाराम 9 हुकमाराम 10 पपुराम  
11 तगाराम 12 प्रहलादराम पिसरान पनाराम 13 चौखाराम  
पुत्र भानाराम 14 गोकलाराम 15 चिमाराम पिसरान करनाराम  
16 चुतराराम पुत्र पुरखाराम 17 चेनी पत्नी पुरखाराम 18  
किरत्ताराम 19 दमाराम 20 शेराराम 21 चौलाराम 22 नवलाराम  
23 वालाराम पिसरान मेहराराम 24 दलाराम 25 मूलाराम 26  
गेनाराम पिसरान वभूताराम जाति जाट निवासी डूंगेरों का  
तला, हाथीतला तहसील व जिला बाड़मेर।

दिनांक - 10-02-21

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :- 423/2019

दिनांक- 09/02/21

### आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा डूंगेरों का तला पटवार क्षेत्र हाथीतला तहसील व जिला बाड़मेर  
के खसरा संख्या 623/340 रकबा 14.14 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते  
हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त  
नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित  
करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने  
बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की  
उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ  
रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

दिनांक- 10-02-21

क्रमांक :- रीडर/2021/244-47

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी हाथीतला तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड  
उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. खेराजराम पुत्र केसराराम वगैराह जाति जाति जाट निवासी डूंगेरों का तला, हाथीतला  
तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी केसराराम पुत्र भीखाराम वगैराह जाति जाट निवासी डूंगेरों का तला, हाथीतला  
तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर